# कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू

क्रमांक : 4215 दिनांक :– 01.07.2026

**–:: विज्ञप्ति ::–**

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 7(29)/रालसा–संस्था/नवीन वाहन चालक पद सृजन/2026/453 दिनांक 24.06.2026 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू कार्यालय में उपलब्ध राजकीय वाहन (Maruti Suzuki XL6)के संचालन हेतु वाहन चालक के 01 संविदा पर पर राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या प. 8(1)विधि–2/विरसं(194)/2026–68576 दिनांक 19.06.2026 के अनुक्रम में कार्मिक विभाग के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के दिशा–निर्देशों के अध्यधीन सेवानिवृत कार्मिक को नियुक्त करने हेतु राजकीय विभागों के सेवानिवृत कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

| क.सं. | कार्यालय का नाम | पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 01 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू | वाहन चालक (संविदा सेवा) | 01 |

**शर्ते :–**

1. उक्त पद पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी तथा राज्य सरकार के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत कार्मिक का चयन किया जायेगा।
2. ऐसे सेवानिवृत कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हैं, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप मय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। उक्त वाहन की सेवाएं राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।
3. ऐसे सेवानिवृत कार्मिक, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया है, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने की दायित्व के अध्यधीन होगी।

अतः उपर्युक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने के इच्छुक सेवानिवृत वाहन चालक दिनांक 06.07.2026 तक कार्यालय समय में अपना आवेदन–पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चूरू

क्रमांक 4216 – 4219 दिनांक :– 01.07.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय सदस्य सचिव महोदय, रालसा, जयपुर
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, चूरू को समस्त अधीनस्थ विभागों में सूचित करने बाबत्।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, चूरू को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चूरू

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू

(सेवानिवृत कार्मिक (वाहन चालक) संविदा सेवा पर लेने हेतु)

**आवेदन पत्र**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | कर्मचारी का नाम | |
| 2 | पिता का नाम | |
| 3 | जन्म तिथि | |
| 4 | पता मंय मोबाईल नं. | |
| 5 | आयु (दिनांक 06.07.2026 को) | |
| 6 | अर्हताएं | |
| 7 | मूल विभाग का नाम | |
| 8 | धारित पद | |
| 9 | अनुभव | |
| 10 | सेवानिवृति के समय मूल वेतन<br>(रनिंग पे बैंड + ग्रेड पे)<br>एलपीसी संलग्न करें। | |
| 11 | मूल पेंशन राशि<br>(पीपीओ की प्रति संलग्न करें) | |
| 12 | सेवानिवृति के समय धारित पद का वेतनमान<br>(सेवानिवृति आदेश की प्रति संलग्न करें।) | |
| 13 | विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र<br>(संलग्नानुसार ) | |

हस्ताक्षर मय दिनांक

## सेवानिवृत कार्मिकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों का मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :

सेवानिवृत कर्मचारी के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

# विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ............................................... पुत्र/पत्नी श्री ...............................................जो सेवानिवृति से पूर्व ................................ के पद पर विभाग में कार्य कर रहे थे, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती ................................................ की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृति के समय श्री/श्रीमती ............ ........................... रू. मासिक मूल वेतन ................................ आहरित कर रहे थे/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती ............................................ अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमती ............................................... के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदौन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

दिनांक :–

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

Scanned with OKEN Scanner